न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 84 / 2023   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 344**
दायर दिनांक :– 20.06.2023   **निर्णय दिनांक :– 09.01.2025**

01. अमराराम पुत्र फूसाराम जाति विश्नोई निवासी जालूवाला तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
02. पुखराज पुत्र अनोपाराम जाति विश्नोई निवासी जालूवाला तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
03. सतपाल पुत्र रामकुमार जाति विश्नोई निवासी मौजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
04. लखपति पुत्री जगदीशकुमार जाति विश्नोई निवासी मौजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
05. संतोषरानी पुत्री रामकुमार जाति विश्नोई निवासी मौजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
06. कृष्णकुमार पुत्र राजाराम जाति विश्नोई निवासी मौजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
07. अमरचन्द पुत्र राजाराम जाति विश्नोई निवासी मौजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)

–वादी

बनाम

01. बाधू पत्नी प्रतापाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
02. ओमप्रकाश पुत्र जगदीशकुमार जाति विश्नोई निवासी मोजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
03. रोशनी पत्नी रामकुमार जाति विश्नोई निवासी मोजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
04. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1066 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1066 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री ज़ारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1066 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	अमराराम पुत्र फूसाराम 1/4 हि. जाति विश्नोई सा. ग्राम जालूवाला, पुखराज पुत्र अनोपारमा 3/4 हि. जाति विश्नोई सा. आदर्शनगर तहसील फलोदी खातेदार	कानासर	1066	2.5900 हैक्टेयर	बा–4
2	अमरचंद पुत्र राजाराम 1/21, कृष्णकुमार पुत्र राजाराम 5/21, ओमप्रकाश पुत्र जगदीश कुमार 5/63, लखपती पुत्री जगदीशकुमार 10/63, रोशनी पत्नी रामकुमार 5/63, सतपाल पुत्र रामकुमार 5/63, संतोष रानी पुत्री रामकुमार 5/63 जाति विश्नोई सा. पदमपुर, बाधु पत्नी प्रतापाराम 5/21 जाति विश्नोई सा. कानासर खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा बाप बाधु का हिस्सा	कानासर	1066	13.5974 हैक्टेयर	बा–4

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

नोटः– खसरा नम्बर 1066 पर न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के मुकदमा नम्बर 63/2024 निर्णय दिनांक 12.04.2024 के द्वारा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन दर्ज है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/01/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अंतिम–डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी : सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. अमराराम पुत्र फूसाराम जाति विश्नोई निवासी जालूवाला तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
02. पुखराज पुत्र अनोपाराम जाति विश्नोई निवासी जालूवाला तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
03. सतपाल पुत्र रामकुमार जाति विश्नोई निवासी मौजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
04. लखपति पुत्री जगदीशकुमार जाति विश्नोई निवासी मौजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
05. संतोषरानी पुत्री रामकुमार जाति विश्नोई निवासी मौजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
06. कृष्णकुमार पुत्र राजाराम जाति विश्नोई निवासी मौजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
07. अमरचन्द पुत्र राजाराम जाति विश्नोई निवासी मौजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)

–वादी

बनाम

01. बाधु पत्नी प्रतापाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
02. ओमप्रकाश पुत्र जगदीशकुमार जाति विश्नोई निवासी मोजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
02. रोशनी पत्नी रामकुमार जाति विश्नोई निवासी मोजगढ जिला सिरसा (हरियाणा)
03. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 84/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1066 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र.स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	अमराराम पुत्र फूसाराम 1/4 हि. जाति विश्नोई सा. ग्राम जालूवाला, पुखराज पुत्र अनोपारमा 3/4 हि. जाति विश्नोई सा. आदर्शनगर तहसील फलोदी खातेदार	कानासर	1066	2.5900 हैक्टेयर	बा–4
2	अमरचंद पुत्र राजाराम 1/21, कृष्णकुमार पुत्र राजाराम 5/21, ओमप्रकाश पुत्र जगदीश कुमार 5/63, लखपती पुत्री जगदीशकुमार 10/63, रोशनी पत्नी रामकुमार 5/63, सतपाल पुत्र रामकुमार 5/63, संतोष रानी पुत्री रामकुमार 5/63 जाति विश्नोई सा. पदमपुर, बाधु पत्नी प्रतापाराम 5/21 जाति विश्नोई सा. कानासर खातेदार। रहन यूको बैंक शाखा बाप बाधु का हिस्सा	कानासर	1066	13.5974 हैक्टेयर	बा–4

नोट:– खसरा नम्बर 1066 पर न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के मुकदमा नम्बर 63/2024 निर्णय दिनांक 12.04.2024 के द्वारा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन दर्ज है। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी

सहायक कलेक्टर

(बाप, जिला फलोदी)

अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.01.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।